न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 133/2019

राजकुमार शर्मा पुत्र श्री चन्द्रपाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कृष्णा भवन वार्ड नम्बर 16 सिहांवाला टीवा, नीम का थाना रोड़ खेतड़ी।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपकोषाधिकारी) खेतड़ी।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 26.08.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31.07.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 133/2019 पर दिनांक 01.08.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपकोषाधिकारी) खेतड़ी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपकोषाधिकारी) खेतड़ी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपकोषाधिकारी) खेतड़ी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2019/1194–95 दिनांक 07.08.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपकोषाधिकारी) खेतड़ी ने पत्रांक 333 दिनांक 13.08.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को उनके पत्र दिनांक 22.07.2019 को लोटाकर इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/उपकोष/2019/313 दिनांक 26.07.2019 द्वारा अवगत करवा दिया गया था कि वे उक्त सूचना के लिए श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनू को आवेदन करें। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपकोषाधिकारी) खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को उनके पत्र दिनांक 22.07.2019 को लोटाकर उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/उपकोष/2019/313 दिनांक 26.07.2019 द्वारा अवगत करवा दिया गया था कि वे उक्त सूचना के लिए श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनू को आवेदन करें। अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू के यहां आवेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनू